

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, औरैया।

प्रकीर्ण आदेश संख्या- 08 /2026/औरैया

दिनांकित- जनवरी 13, 2026

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या- 486/Admin. (E-I) Section/XC-4/2026, Allahabad दिनांकित- 13.01.2026 के अनुसार जनपद न्यायालयों में मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक- 15.01.2026 (गुरुवार) को अवकाश घोषित किया है तथा इसके एवज में जनपद न्यायाधीश को किसी भी चतुर्थ शनिवार को न्यायालय का कार्यदिवस घोषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित पत्र के अनुपालन में जनपद न्यायालय, औरैया में मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक- 15.01.2026 (गुरुवार) को अवकाश घोषित किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय, औरैया में दिनांक- 15.01.2026 (गुरुवार) को घोषित अवकाश के एवज में दिनांक- 23.05.2026 (चतुर्थ शनिवार) को कार्यदिवस घोषित किया जाता है, मुख्यालय औरैया एवं बाह्य स्थित न्यायालय बिधूना, औरैया के सभी न्यायालय/कार्यालय कार्यदिवस के अनुसार खुले रहेंगे।

जनपद न्यायालय, औरैया एवं बाह्य स्थित न्यायालय, बिधूना, औरैया में दिनांक- 15.01.2026 को नियत वादों की सुनवाई अगले कार्यदिवस को की जायेगी।

मुख्यालय औरैया एवं बाह्य स्थित न्यायालय बिधूना, औरैया के सभी न्यायालयों/कार्यालयों में प्रचारित हो।

आदेश की प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय औरैया, पीठासीन अधिकारी MACT औरैया, अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत औरैया, जिलाधिकारी औरैया, पुलिस अधीक्षक औरैया, संयुक्त अभियोजन अधिकारी औरैया, किशोर न्याय बोर्ड औरैया, अधीक्षक जिला कारागार इटावा/औरैया को सूचनार्थ प्रेषित हो। अध्यक्ष/महामंत्री समस्त बार संघ जनपद न्यायालय, औरैया एवं बाह्य न्यायालय बिधूना, औरैया सूचित हों। आदेश की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, औरैया को दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित हो। आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, औरैया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे तथा जनपद न्यायालय, औरैया की वेबसाइट पर अपलोड की जावे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।


13/01/26
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।
13/01/26